दिनांक 18.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 27/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की 76वें आरआर बैच के प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारियों के साथ शिष्टाचार भेंट

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 से आज दिनांक 18.11.2024 को पुलिस मुख्यालय में भारतीय पुलिस सेवा के 76वें आरआर बैच के 20 प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा शिष्टाचार भेंट की गयी एवं मुलाकात के दौरान मोमेन्टो भेंट किये गये।

शिष्टाचार भेंट के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा पुलिस मुख्यालय स्थित विभिन्न कार्यालयों एवं शाखाओं का भ्रमण कर कार्यों के बारे में जानकारी ली गयी। प्रशिक्षु आई0पी0एस0 अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेन्टर भ्रमण के दौरान सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर 24X7 मॉनीटरिंग किये जाने तथा सोशल मीडिया सेन्टर की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा मुलाकात के दौरान अपने उद्‌बोधन में उ0प्र0 पुलिस के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हुये वर्तमान परिवेश में जनता की सुरक्षा एवं अपराधों की रोकथाम एवं महिला सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियानों यथा कम्युनिटी पुलिसिंग, ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन त्रिनेत्र आदि के बारे में विस्तार से बताया गया।

पुलिस महानिदेशक द्वारा अपने उद्‌बोधन में यह भी कहा गया कि पुलिस सेवा जनता के विभिन्न वर्गों की सेवा हेतु एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आपको जनता के लिए आसानी से सुलभ होना चाहिए। आपको स्वच्छ इरादे के साथ काम करना चाहिए। विशेषतौर पर महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं उन पर त्वरित कार्यवाही कराते हुये मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराकर दोषियों को सजा दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा पुलिस की सेवा में नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति रखना ही सफलता का मूल मन्त्र है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षु अधिकारियों के जिज्ञासा भरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गयी।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दिनांक 18.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 28/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 80 लाख रूपये कीमत की ज्वैलरी**
- **01 लाख 35 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17.11.2024 की रात्रि थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शशि चौक कट के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–नूरजमाल शेख 2–राजकुमार घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 80 लाख रूपये कीमत की ज्वैलरी, 01 लाख 35 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 08–08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर–39 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नूरजमाल शेख निवासी कालरा गेट कॉफी बागान थाना वर्धमान जनपद वर्धमान पश्चिम बंगाल, हालपता सिकन्दरपुर घोसी थाना डीएलएफ फेस–1 गुरूग्राम हरियाणा।

2–राजकुमार निवासी ग्राम कुर्मी टोला थाना व जनपद मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल हालपता सिकन्दरपुर घोसी थाना डीएलएफ फेस–1 गुरूग्राम हरियाणा।

बरामदगी

1–लगभग 80 लाख रूपये कीमत की ज्वैलरी।

2–01 लाख 35 हजार रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवितध्खोखा कारतूस आदि।

जनपद फतेहपुर/थाना जहानाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 18.11.2024 को थाना जहानाबाद, थाना कल्याणपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कपिल मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त धर्मेन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण, नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना जहानाबाद व कल्याणपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–धर्मेन्द्र निवासी ग्राम नोनारा थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1–लूट के सोने के आभूषण।

2–नगद रूपये।

3–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना मण्डी

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **12 हजार 300 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 18.11.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विश्वास नगर सकलापुरी रोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–इरशाद उर्फ लड्डू सहित अभियुक्त 2–अंकुर उर्फ पंकज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने के आभूषण, 12 हजार 300 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इरशाद उर्फ लड्डू के विरूद्ध जनपद सहारनपुर, हापुड़, मुजफ्फरनगर व उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 22 अभियोग एवं अभियुक्त अंकुर उर्फ पंकज के विरूद्ध जनपद बागपत, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास,

चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त इरशाद उर्फ लड्डू थाना मण्डी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इरशाद उर्फ लड्डू निवासी किदवई नगर थाना खालापार जनपद मुजफ्फरनगर।

2–अंकुर उर्फ पंकज निवासी बासौली उर्फ नसौली थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी

1–लूट के सोने के आभूषण।

2–12 हजार 300 रूपये नगद।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बलरामपुर/थाना ललिया

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का घटना का अनावरण**
- **चोरी के 53 हजार 200 रूपये नगद**
- **सीसीटीवी का डीवीआर आदि बरामद**

दिनॉकः 18.11.2024 को थाना ललिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त विनोद उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 53 हजार 200 रूपये नगद, सीसीटीवी का डीवीआर आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 17.11.2024 को थाना ललिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ललिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना ललिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– विनोद उर्फ पप्पू निवासी ग्राम शिवपुरा थाना ललिया जनपद बलरामपुर।

बरामदगी

1–चोरी के 53 हजार 200 रूपये नगद।

2–सीसीटीवी का डीवीआर आदि।

जनपद बलरामपुर/थाना महराजगंज तराई

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 17 हजार 600 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा**
- **01 वैगनार कार आदि बरामद**

दिनांक 17.11.2024 को थाना महराजगंज तराई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त बच्छराज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही पर आसाम चौराहा के पास से अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 17 हजार 600 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा, 01 वैगनार कार आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त बच्छराज के विरूद्ध जनपद खीरी, बहराइच, सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 23 अभियोग एवं अभियुक्त राजकुमार के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना महराजगंज तराई पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बच्छराज निवासी कोलगढ़ थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

2–राजकुमार निवासी औरी साईपुर थाना तम्बौर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–चोरी के 17 हजार 600 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा।

3–01 वैगनार कार आदि।

जनपद जौनपुर/थाना मुगराबादशाहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 18.11.2024 को थाना मुगराबादशाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान नीभापुर में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नीरज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मुगराबादशाहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—नीरज निवासी ग्राम कोर्री थाना जलालापुर जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद मीरजापुर/थाना मड़िहान</u>

03 अभियुक्त गिरफ्तार

05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर

4420/—रूपये नगद

घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साइकिल बरामद

दिनॉकः 18.11.2024 को थाना मड़िहान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेला जंगल शिवमंदिर के पास से 03 अभियुक्तों 1—अशोक कुमार 2—अजय कुमार 3—प्रिंस उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 4420/—रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना मड़िहान पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अशोक कुमार निवासी बढौली थाना राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र।

2—अजय कुमार निवासी रजखड़ थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।

3—प्रिंस उर्फ सोनू निवासी विसहार थाना करमा जनपद सोनभद्र।

<u>बरामदगी</u>

1—05 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—4420/—रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटर साइकिल।

जनपद औरैया/थाना ऐरवाकटरा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी की 14 टावर बैट्री**
- **15 हजार 500 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 लोडर वाहन**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनॉकः 18.11.2024 को थाना ऐरवाकटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर समायन तिराहा के पास से 03 अभियुक्तों 1–अभिषेक 2–जितेन्द्र कुमार 3–अरबाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/नि"ाादेही से चोरी की 14 टावर बैट्री, 15 हजार 500 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 लोडर वाहन, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना ऐरवाकटरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ऐरवाकटरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद टावर बैट्री उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अरबाज के विरूद्ध जनपद औरैया के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त जितेन्द्र कुमार के विरूद्ध जनपद औरैया के विभिन्न थानों चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना ऐरवाकटरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिषेक निवासी मो0 अम्बेडकरनगर कस्बा थाना बिधूना जनपद औरैया।

2–जितेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बसई थाना बिधूना जनपद औरैया।

3–अरबाज निवासी नवीन बस्ती थाना बिधूना जनपद औरैया।

बरामदगी

1—चोरी की 14 टावर बैट्री।

2—15 हजार 500 रूपये नगद।

3—03 मोबाइल फोन।

4—01 लोडर वाहन।

5—घटना में प्रयुक्त कार।

जनपद खीरी/थाना खीरी

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 18.11.2024 को थाना खीरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम अमृतागंज नहर के किनारे से अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना खीरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोनू निवासी ग्राम भानपुर गौरतारा थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।

बरामदगी

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद कानपुर देहात/थाना गजनेर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना गजनेर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बड़ी पुत्र मेवालाल को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रिजवान अहमद को 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————